संख्या-02/2020/71जेएल/22-3-2020-200(1)/2019

प्रेषक,

गिरीश चन्द्र खरे,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधीक्षक,
आदर्श कारागार लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊः दिनांकः 15 जनवरी, 2020***

विषय- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध बंदियों को स्वीकृत 15 दिन के गृह अवकाश की अवधि में 15 दिन की वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-110/2019/4213जेएल/22-3-19-200(1)/2019, दिनांक 30-12-2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश के क्रम में पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-1205/प्रो0अनु0(2)-209/2019/होमलीव, दिनांक 10-01-2020 में दी गयी सहमति एवं निम्नलिखित 21 बंदियों द्वारा किये गये अनुरोध पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उनको पूर्व स्वीकृत 15 दिन के गृह अवकाश में अग्रेतर 15 दिन की वृद्धि एतदद्वारा स्वीकृत की जाती है :-

क्र0	बंदी/पिता का नाम	जनपद का नाम	बंदी संख्या
1	हबीब पुत्र अब्दुल लतीफ	बदायूँ	14326
2	सुरेन्द्र पुत्र भोला	उन्नाव	14530
3	भगवानदीन पुत्र सत्यनारायण	उन्नाव	14568
4	गिरीश चन्द्र पुत्र मथुरा प्रसाद	लखनऊ	14707
5	रफीक पुत्र जफ्फू	हरदोई	14758
6	बाबू पुत्र जफ्फू	हरदोई	14759
7	इस्लाम पुत्र अली मोहम्मद	एटा	14788
8	महेश पुत्र राम कुँवर	जे0पी0नगर	14898
9	गिरिराज सिंह पुत्र सरनाम सिंह	हरदोई	15098
10	सुरेन्द्र पुत्र तुलसीराम	शाहजहांपुर	15111
11	अशोक पुत्र रमेश	उन्नाव	15112
12	शिवमूरत गुप्ता पुत्र छंगू गुप्ता	अयोध्या	15151
13	सर्वेश सिंह पुत्र दिलीप सिंह	हरदोई	15203
14	राजवीर सिंह उर्फ रामू पुत्र महेन्द्रपाल सिंह	शाहजहांपुर	15269
15	रशीद अहमद पुत्र अमीरूद्दीन	सीतापुर	15481
16	सुशील कुमार पुत्र बुधराज	फतेहपुर	17023
17	पौवा उर्फ पप्पू पुत्र मासूक	कन्नौज	17047

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

18	निसार पुत्र फारूक	कन्नौज	17048
19	गुड्डू उर्फ आशीष कुमार पुत्र शिवशंकर लाल	सीतापुर	17090
20	सत्यनारायण तिवारी उर्फ जौली पुत्र घनश्याम तिवारी	फर्रूखाबाद	17141
21	तीरथ पुत्र बाबू	बहराइच	17186

भवदीय,

गिरीश चन्द्र खरे
अनु सचिव।

संख्या-02/2020/71जेएल(1)/22-3-2020-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री कारागार विभाग, उ0प्र0।

2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-1205/प्रो0अनु0(2)-209/2019/होमलीव, दिनांक 10-01-2020 के संदर्भ में।

3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

गिरीश चन्द्र खरे
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।